न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2025	अभ्यावेदन प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 32/2024 मंदिर मूर्ति श्री बिहारी जी विराजमान पलानहेडा तहसील महवा बनाम मानसिंह व अन्य पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री सतीश कुमार पारीक उपस्थित। श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 उपस्थित। श्री प्रदीप कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 12 उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा गया। प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दिनांक 11.07.2025 को खारिज किया जा चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु और अवसर दिये जाने के लिए ऐतराज किया गया। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि को प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के नाम खातेदारी के अंकन को हटाकर मन्दिर मूर्ति श्री बिहारी जी के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया गया है। किन्तु प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व उसके प्रकाश में राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.01.2010 के परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण कर विधिवत रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official